न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 204/2017

1. रूपनारायण
2. राधेश्याम
3. हंसराज
4. सत्यनारायण

पुत्रान मोहरू, जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कनकपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स–

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र गोपीराम
2. गोविन्दनारायण पुत्र जगन्नाथ
3. मोतीलाल पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम कनकपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

4. सरकार जरिये तहसीलदार जी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
5. उप–पंजीयक तृतीय जयपुर पंचायत समिति झोटवाडा परिसर, झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री सुबोध जैन अपीलांट की ओर से।
2– श्री पंकज शर्मा रेस्पोडेंट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

:– निर्णय :– दिनांक :–28–03–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय बेजा डिक्री व निर्णय दिनांक 11.02.2017 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर बमुकदमा संख्या 29/16 उनवानी बाबूलाल बनाम गोविन्दनारायण व अन्य प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि रेस्पोडेंस संख्या 1 ने विरूद्ध रेस्पोडेंटस संख्या 2 ला0 5 के विरूद्ध दिनांक 29.02.2016 को वाद संख्या 29/16 अधीनस्थ विचारणीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर में वर्तमान दर्ज गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर एवं गलत अंकन का फायदा उठाने की गरज से खसरा नम्बर 154, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 233/304, 234/306, 234/307 किता 10 कुल रकबा 69 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम कनकपुरा तहसील व जिला जयपुर के मुताबिक विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया और वादी का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 2/3 दर्ज हिस्से का तकासमा कराये जाने की मांग की गई। वाद में वादी ने उक्त आराजियात के मुतालिक साबिक रिकॉर्ड में इन्द्राजात का तथा कब्जे काश्त का कोई उल्लेख नहीं किया ना यह बताया कि भूमि वादग्रस्त वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रश्नगत वाद दिनांक 29.02.2016 के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय में ही एक

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

अन्य वाद संख्या 65/16 मिन अपीलान्टान को फरीक बनाते हुए पेश किया और तकासमा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई। जिसमें अपीलान्टस ने हाजिर होकर जवाबदावा मय कांउटर क्लेम दिनांक 08.12.2016 को पेश किया जिसमें सारे वास्तविक तथ्यों का खुलासा किया और मांग अपीलान्टस की ओर से की गई प्रश्नागत वाद की आराजियात किता 10 कुल रकबा 69 बीघा 19 बिस्वा के हक हकूक कब्जा काश्त से वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 यानि रेस्पोडेंटस 1 ल0 3 का कोई लेना देना नहीं है। पूरी आराजियात अपीलान्टस के दादा हरदेवा वल्द नोला के खाते व कब्जे काश्त की थी। सम्वत 1987 के मिसल हकियत के इन्द्राजात में अपीलान्ट के दादा हरदेवा वल्द नोला बतौर खातेदार काश्तकार नाम दर्ज रही है जो बिना किसी अधिकार के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर रेस्पोडेंट 1 ला 3 ने अपने नाम अंकित करवा ली तथा अपीलान्ट द्वारा तकासमें के लिए अन्य वाद संख्या 4/2017 दिनांक 25–01–2017 को प्रस्तुत किया जाकर अपीलाधीन खसरा नम्बर की भी घोषणा अपीलान्ट ने स्वयं के नाम चाही है। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को प्रारम्भ से ही रही है, तदुपरान्त भी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने फर्जकारी करते हुए पूर्व वाद संख्या 29/2016 को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11–02–2017 को अन्तिम डिक्री करवा लिया जिसमें अपीलान्ट के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव आ गया तथा अपील आगे के मदों में अपीलान्ट द्वारा स्वयं का सजरा खानदान प्रस्तुत करते हुए नोला का विधिक उत्तराधिकारी बताया है तथा अपीलाधीन खसरा नम्बर वादग्रस्त आराजियात के साबिक खसरा नम्बर 157, 158, 159, 176, 171, 241, 169, 173 है जो मिसल हकियत सम्वत 1987 के अनुसार अपीलान्टस के दादा हरदेवा वल्द नोला के खातेदार कब्जे में इन्द्राज हैं। लेकिन इस सब तथ्यों की जानकारी को छिपाते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री वाद संख्या 29/2016 में दिनांक 11–2–2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिये अधीनस्थ न्यायालय से जारी करवा ली जो कतई वास्तविकता से परे होने के कारण निरस्तनीय है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये सीधे ही एफ डी/अन्तिम डिक्री जारी कर दी तथा अंकित किया कि प्रश्नगत निर्णय व डिक्री जारी करने से पूर्व लैण्ड होल्डर तहसीलदार की कोई सहमति/ईजाजत नहीं ली और ना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री में अपीलार्थी को पक्षकार बनाया गया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के कारण प्रश्नगत निर्णय व अन्तिम डिक्री से अपीलार्थी व्यथित हुआ है। इस कारण अपीालन्ट को मौजूदा अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार हैं तथा अपीलार्थी ने अपील धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई।

3– अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर्ड की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र बाबत प्रस्तुत किये जाने अपील धारा 96 सी0पी0सी0 पर केवियटकर्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता को सुना जाकर दिनांक 24.04.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई तदुपरान्त धारा 96 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के आदेश से व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 3 के द्वारा एक निगरानी याचिका माननीय न्यायायल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 2390/2017 मोतीलाल बनाम रूपनारायण व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में धारा 96 के प्रार्थना पत्र पर पुनः सुना जाकर दिनांक 08.12.2017 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

4– पत्रावली अपील पर उभय पक्षकारों की बहस सुनी गई तथा अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 154, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 233/304, 234/307 कुल किता 10 कुल रकबा 69 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम कनकपुरा तहसील व जिला जयपुर के गत खसरा नम्बर 157, 158, 159, 176, 171, 241, 169, 173 है जो मिसल हकियत 1987 के अनुसार अपीलान्ट के दादा हरदेवा वल्द नोला के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज व अंकित है अपीलान्ट के दादा तथा पिता के स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहे हैं वर्तमान में भी उक्त खसरा नम्बरान पर अपीलान्ट का ही कब्जा हो सकता है परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने राजस्व रिकॉर्ड में फर्जकारी कर अपने नाम करवा लिया है और बाला बाला ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर बिना अपीलान्ट को फरीक बनाये पेश कर दिया और गुपचुप में कानूनी प्रक्रिया का मखोल उडाकर कुर्रेजात रिपोर्ट अथवा कब्जे की रिपोर्ट लिए बगैर राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 11.02.2017 को अन्तिम डिक्री जारी करवा ली जब कि प्रश्नागत भूमि के हक हकूकों कब्जे काश्त से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को कोई सम्बंध सरोकार नही था ना है। वादग्रस्त आराजियात को शामिल करते हुए अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्य वाद संख्या 4/2017 उनवानी रूपनारायण बनाम बाबूलाल व अन्य घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 25.01.2017 को पेश कर रखा है जो जैर कार है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा भी एक अन्य वाद दिनांक 29.02.2016 को प्रस्तुत किया जाकर अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित कर रखा है जिसके मुकदमा नम्बर 65/2016 उनवानी बाबूलाल बनाम रूपनारायण व अन्य हैं। उक्त वाद में अपीलान्ट द्वारा जवाब दावा दिनांक 08.12.2016 को पेश कर सम्पूर्ण आराजी वादग्रस्त की घोषणा अपने नाम चाही है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को इन सब तथ्यों की भली भांति जानकारी होने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय से दुरभिसंधि करते हुए प्रश्नागत डिक्री जारी करवा ली गई और अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये तथा बिना मौका रिपोर्ट/प्रारम्भिक डिक्री जारी करवाये अन्तिम डिक्री जारी करवा ली गई जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ दस्तावेज साक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा मिसल हकियत सम्वत् 1978, मिलान क्षेत्रफल तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 65/2016 उनवानी बाबूलाल बनाम रूपनारायण व अन्य, तथा अन्य वाद संख्या 4/2017 उनवानी रूपनारायण बनाम बाबूलाल व अन्य की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2017 को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की है।

5– रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण अपील मिथ्या एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई हैं जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 154, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 235/304, 234/306, 234/307 कुल किता 10 कुल रकबा 69 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम कनकपुरा तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 बहिस्सा बराबर बराबर 1/3, 1/3 वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है जिस पर रेस्पोडेंट ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2017 को पक्षकारों में राजीनामा जो जाने के कारण राजीनामे को

आधार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की पालना करते हुए एवं पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामें के मध्यनजर अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गई है। जिसके खिलाफ अपीलार्थी किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। साथ ही योग्य अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा मिसल हकियत सम्वत 1987 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खातेदारी का आधार बनाकर कथन किया गया ळै कि सर्वथा मिथ्या व गलत है बल्कि वास्तविकता तथ्य इस प्रकार है कि अव्वल तो मिसल हकियात सम्वत 1987 खातेदारी का प्रमाण पत्र नहीं है और ना ही मिसल हकियत सम्वत 1987 के अनुसार अपीलान्ट के तथाकथित दादा हरदेवा वल्द नोला खातेदार काश्तकार रहा है बल्कि मिसल हकियात सम्वत 1987 के प्रथम कॉलम नम्बर, द्वितीय कॉलम नाम थोक पट्टी मय नाम पटेल, तृतीय कॉलम नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व सकूलत, चतुर्थ कॉलम नाम शिकमी काश्तकार मय वल्दियत कौमियत व सकूलत व अन्य कॉलम अंकित है तथा कॉलम संख्या 2 नाम थोक व पट्टी मय नाम पटेल के कॉलम में हरदेवा वल्द नोला कौम ब्राह्मण का नाम दर्ज व अंकित है न कि कॉलम संख्या 3 नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व सकूलत में दर्ज है तथा आगे कथन किया गया कि नाम थोक पट्टी मय नाम पटेल का खातेदारी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। पटेल मात्र लगान इकट्ठा करने का कार्य करता था। जिसको नाम भी खातेदार नहीं माना गया है। पटेल का काम मात्र लगान वसूली था जिसके बदले पटेल वेतन पाता था, इसका स्पष्टीकरण महकमा बन्दोबस्त राज सवाई की सम्वत 1987 की मिसल हकीयत बन्दोबस्त मौजा कनकपुरा में किया है। तथा क्रम संख्या 3 पर लिखा है कि "मौजूदा हालत में खालसे की इजारा सालाना 325 रूपये में बनाम छोटेलाल पटवारी व हरदेवा वल्द नौला कौम बागडा ब्राह्मण सा.देह के सम्वत 1983 से 1988 तक है जिसकी अदायगी चार किस्तों में खजना सरकार मे जमा करवाने का रिवाज है आयन्दा जो कानून जारी होगा उस पर अमल करेंगे।" इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में हरदेवा वल्द नोला को खातेदार काश्तकार होने का जो कथन किया है वह सर्वथा मिथ्या व गलत किया है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध सरोकार नहीं है बल्कि हरदेवा वल्द नोला मिसल हकियत सम्वत 1987 के अनुसार 4 साल का सीमित समयावधि के लिए इजारा/पट्टा जारी किया गया जिसका कार्य मात्र लगान वसूली का था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात् काबिज व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन खसरा नम्बर 154, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 234/307 की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के दादा जगन्नाथ पुत्र घासी के नाम दर्ज रही हैं जिसके समर्थन में खातौनी बन्दोबस्त/जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2034 प्रस्तुत है तथा जगन्नाथ पुत्र घासी की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के नाम होकर लगातार आज भी खातेदार काश्तकार घोषित रिकॉर्ड में दर्ज है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत वाद संख्या 65/2016 उनवानी बाबूलाल बनाम रूपनारायण व अन्य का प्रश्न है तो उक्त वाद में विचाराधीन खसरा नम्बर अपीलाधीन खसरा नम्बरान के अलावा है जिनका अपील में वर्णित खसरा नम्बरान से कोई वास्ता नहीं है तथा वाद संख्या 65/2016 में अंकित खसरा नम्बरान में अपीलान्ट व रेस्पोडेंट का बराबर 1/2 हिस्सा निहित है जिसके तकासमें बाबत् रेस्पोडेंट द्वारा वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त खसरा नम्बरान का अपीलाधीन खसरा नम्बरान से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि अपीलान्ट द्वारा अल्टिरियों मोटीव से सोची समझी साजिश के तहत झूंठा जवाब दावा भी

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तो उससे अपीलार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता तथा अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मिसल हकियत सम्वत 1987 में हरदेवा वल्द नोला को खातेदार व कब्जे काश्तकार बताकर अन्य वाद दिनांक 25.01.2017 को उनवानी रूपनारायण बनाम बाबूलाल वाद संख्या 4/2017 प्रस्तुत किया है जो अल्टिरियों मोटिव के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा दौराने बहस रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी मुकदमेबाज किस्म का व्यक्ति है जो न्यायालय में मुकदमें पेश कर विड्रा करने का आदी रहा है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2006 में भी अपीलाधीन खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए एक वाद संख्या 110/2006 उनवानी रूपनारायण बनाम गोपीराम व अन्य प्रस्तुत किया है उक्त वाद में समझौता होने पर पक्षकारों के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के तहत तहसीलदार जयपुर से इजाजत प्राप्त कर अपीलाधीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 234/306 को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि 234/308 को विनिमय विलेख के माध्यम से बदल की गई उक्त विनिमय विलेख का उप पंजीयक पंचम के यहां दिनांक 24.02.2007 को पंजीबद्ध किया गया तथा अपीलाधीन खसरा नम्बर 234/306 की खातेदारी रजिस्टर्ड विलेख से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को प्राप्त हुई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 57 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ इसी अनुक्रम में अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 234/308 में से 2 बीघा 4 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 234 मे से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि मेघा कॉलोनाईजर से जरिये विक्रय पत्र खरीद की गई। तत्पश्चात् मेघा कॉलोनाईजर व अपीलान्ट मे तकासमा होकर अपीलाधीन खसरा नम्बर 234/308/1 व खसरा नम्बर 234/1 अस्तित्व में आये जिसके नामान्तरकरण संख्या 129 के माध्यम से खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के तहत अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के मध्य बदल पत्र निष्पादित किये गये उक्त बदल पत्र से अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 234/308/1, व खसरा नम्बर 236 में से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के खसरा नम्बर 233/304 से बदल किया गया। उक्त बदल पत्र का पंजीयन उप पंजीयक षष्ठम के यहां दिनांक 14–05–2007 को क्रम संख्या 20073996000423 पर पंजीबद्ध किया गया है। उक्त विनिमय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 130 के द्वारा अपीलाधीन खसरा नम्बर 233/304, 234/1, 234/308/1 की खातेदारी अपीलान्ट से ही रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क कि दौराने सैटलमेन्ट फर्जकारी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का आक्षेप रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 व पूर्वजों पर लगाया गया है जो मिथ्या व निराधार लगाया गया है बल्कि अपीलाधीन खसरा नम्बर 154, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 234/307 की खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व एवं पश्चात् जमाबन्दी में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज जगन्नाथ पुत्र घासी के नाम रही है तथा विरासत के आधार पर उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को प्राप्त हुई है तथा अपीलाधीन अन्य खसरा नम्बर 233/304, 234/306, 234/1, 234/308/1 की खातेदारी रजिस्टर्ड बदल पत्रों के आधार पर अपीलान्टस से ही रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को प्राप्त हुई है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेजी के प्रभाव में रहते हुए अपीलाधीन खसरा नम्बर के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 से रजिस्टर्ड बदल पत्र के आधार पर मूल खसरा नम्बर 234, 234/308 एवं खसरा नम्बर

236 को मेघा कॉलोनाईजर को बेचान कर दिया। यदि किसी प्रकार की फर्जकारी कर अपीलाधीन खसरा नम्बरान की खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने प्राप्त की होती तो अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के साथ बदल पत्र ही निष्पादित नहीं किये जाते बल्कि वर्ष 2006–07 में ही घोषणा का दावा प्रस्तुत कर दिया जाता। जबकि अपीलार्थी द्वारा दावा बाबत् तकासमा वाद संख्या 110/2006 उनवानी सत्यनारयण बनाम बाबूलाल प्रस्तुत किया जाकर मात्र तकासमा किये जाने का निवेदन किया और उक्त वाद की आड में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 से राजीनामा कर बदल पत्र निष्पादित करवा लिये गये हैं तत्पश्चात् उक्त वाद संख्या 110/2006 को दिनांक 23–03–2007 को नोटप्रेस के आधार पर अपीलार्थी ने खारिज भी करवा लिया। इस प्रकार अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन वाद के पश्चातवर्ती वाद संख्या 65/2016 उनवानी बाबूलाल बनाम रूपनारायण में जवाब तथा अन्य वाद संख्या 4/2017 उनवानी रूपनारायण बनाम बाबूलाल सम्पूर्ण दावा मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। तथ्यों को छिपाते हुए शपथपूर्वक सत्यापित एवं रजिस्टर्ड दस्तावेजों में अंकित तथ्यों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये हैं इससे पूर्णत स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अपील मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को हैरान परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किये है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध सरोकार नहीं है। तथा आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद 29/2016 बाबूलाल बनाम गोविन्दनारायण व अन्य मात्र तकासमा का वाद है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार मात्र सहखातेदार काश्तकार ही आवश्यक पक्षकार है अन्य व्यक्ति आवश्यक पक्षकार नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन कृषि भूमि पूर्व से एवं रजिस्टर्ड बदल पत्रों के आधार पर खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को खातेदारी प्राप्त हुई। इस प्रकार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों की पालना करते हुए वाद संख्या 29/2016 का अन्तिम निस्तारण करने के आशय से राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की गई है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः अपील अपीलान्ट अल्टिरियो मोटिव से तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 को हैरान परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किये जाने के कारण सारहीन तथ्यहीन होने से निरस्त फरमाने की इस्तदुआ करते हुए दस्तावेज सूची अलग से प्रस्तुत की है।

6– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील के साथ सलंग्न दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा मुख्य आपत्ति यह ली गई है कि वादग्रस्त भूमि जिसके संबंध में अपीलाधीन विभाजन का निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के संबंध में दो अन्य वाद क्रमशः 65/2016, 4/2017 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व से ही विचाराधीन रहे हैं। वाद संख्या 65/2016 रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा बाबत् घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार है। उक्त वाद में अपीलान्टस द्वारा जवाब दावा में कांउटर वाद पत्र वादग्रस्त भूमि को सम्मिलित करते हुए पेश किये गये है। दूसरा वाद संख्या 4/2017 अपीलान्ट द्वारा बाबत् घोषणा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी वादग्रस्त भूमि सम्मिलित है। उक्त दोनों दावों में वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा संबंधी विवाद है जिसका निर्णय अभी किया जाना शेष है। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त दोनों दावों के विचाराधीन रहते हुए जो अपीलीधीन निर्णय व डिक्री बाबत् विभाजन पारित किया

गया है वह अनुचित है उनके अधिकारों के विपरीत है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से विवाद बहुलता बढी है तथा उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त दोनों वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है परन्तु उनका कथन यह रहा है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 4/2017 एवं कांउटर वाद पत्र अन्तर्गत वाद संख्या 65/2016 मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत किये गये हैं तथा तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिए वे चलने योग्य नहीं है तथा उनके आधार पर अपीलाधीन निर्णय प्रभावित नहीं होते है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से इन्हीं तथ्यों को साबित करने के प्रयास किये गये हैं कि वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। चूंकि उपरोक्त उल्लेखित दोनों वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान में विचारधीन है तथा जिन पर निर्णय समुचित विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए साक्ष्य सबूत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है तथा इस अपील के स्तर पर इन वाद पत्रों की पोषनीयता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह सर्वप्रथम विचारण न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का प्रकरण है इसलिए वाद संख्या 65/2016 एवं 4/2017 के गुणावगुण पर इस स्तर पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है तथा रेस्पोडेंट द्वारा दोनों वाद पत्रों के संबंध में गुणावगण पर जो कथन किये गये हैं उन पर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा लिया गया यह आधार उचित प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि के संबध में घोषणा का प्रश्न विचाराधीन रहते जो अपीलाधीन विभाजन का निर्णय व डिक्री पारित की गई वह उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम वादग्रस्त भूमि कें संबंध में घोषणा के विवाद को निस्तारित किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की जानी चाहिए थी जो कि नहीं की गई हैं। रेस्पोडेंटस द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय को इन वाद पत्रों के विचाराधीन रहने के तथ्य से अवगत नहीं करवाया गया है जो कि उनका कर्त्तव्य था।इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में सारभूत विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7– अतः अपील आशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11–02–2017 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद संख्या 65/2016 व 4/2017 को हस्तगत प्रकरण के साथ हमफिता किया जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर सर्वप्रथम प्रारम्भिक डिक्री जारी की जावे एवं तत्पश्चात् नियमानुसार कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन हेतु समुचित निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

8– निर्णय आज दिनांक 28–03–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर